

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्री सायरसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 794/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1526


आदेश

दिनांक - 3/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 113 एवं 358 में वादी के पिताजी का गलत दर्ज नाम "जस्सुसिंह पुत्र सुल्तानसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "जयसिंह पुत्र सुल्तान सिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकी मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

- श्री सायरसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

- तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 795 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 113 एवं 358 में वादी के पिताजी का गलत दर्ज नाम "जस्सुसिंह पुत्र सुल्तानसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "जयसिंह पुत्र सुल्तान सिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह....
...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत.....

ओहदा.....

(Handwritten signature)

मुहर	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये
रजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।